सहकारिता विभाग

एक सब के लिए, सब एक के लिए

बिहार सरकार

बिहार राज्य फसल सहायता योजना

रबी 2024-25 मौसम हेतु ऑनलाइन आवेदन

अधिसूचित फसलें

पंचायत स्तरीय फसल: गेहूँ, मक्का, ईख

जिला स्तरीय फसल: आलू, बैंगन, टमाटर, गोभी, अरहर, चना, मसूर, प्याज, राई-सरसों, मिरचाई

योजना की प्रमख विशेषताएँ

- फसल उत्पादन मे 20% तक क्षति होने पर 7500 रुपया प्रति हेक्टेयर तथा 20% से ज्यादा क्षति होने पर 10000 रुपया प्रति हेक्टयर तक सहायता राशि का भुगतान
- योजना अंतर्गत अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान हेतु सहायता राशि का भुगतान |
- रैयत, गैर रैयत तथा आंशिक रुप से रैयत एवं गैर रैयत श्रेणी के किसानों के लिए
- एक फसल से ज्यादा फसलों के चयन की सुविधा ।
- नगर पंचायत / नगर परिषद् क्षेत्र के किसान भी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य ।

आवेदन की अवधि - 31 मार्च 2025 तक

नि:शुल्क आवेदन

नोटः–अधिसूचित फसलों से संबंधित जिलों के नाम विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध।

आवेदन की आसान प्रक्रिया :-

- सहकारिता विभाग के विभागीय पोर्टल - https://state.bihar.gov.in/cooperative अथवा ई- सहकारी मोबाइल ऐप (प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे । अनिबंधित किसानों को आवेदन हेतु डी0बी0टी0 पोर्टल पर निबंधन कराना आवश्यक होगा।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत निबंधित किसान सिर्फ रैयत श्रेणी अथवा आंशिक रुप से रैयत तथा गैर-रैयत श्रेणी में ही आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन हेतु सभी श्रेणी के किसानों को बुआई की गई फसल, बुआई क्षेत्र से संबंधित भूमि की विवरणी यथा-खाता संख्या, खेसरा संख्या, थाना संख्या एवं कम्प्यूटराइज जमाबंदी संख्या अथवा बुआई के कुल रकबा की जानकारी देना अनिवार्य है।
- सभी श्रेणी के किसानों को आवेदन के समय विहित प्रपत्र में भरे हुए स्व-घोषणा पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। परन्तु, गैर-रैयत एवं आंशिक रुप से रैयत एवं गैर-रैयत श्रेणी के किसानों को मुखिया/सरपंच/वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक द्वारा संयुक्त रुप से प्रतिहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
- स्व-घोषणा पत्र मोबाइल ऐप e-sahakari अथवा विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
- आवेदन के समय किसानों द्वारा एंड्रायड मोबाइल के माध्यम से आवेदित भूमि का Geo-coordinates दिया जाना है।
- योग्य ग्राम पंचायतों के रैयत श्रेणी एवं आंशिक रुप से रैयत तथा गैर-रैयत श्रेणी के आवेदक किसानों को सत्यापन के पूर्व भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा अद्यतन राजस्व रसीद अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- योग्य ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों को सत्यापनोपरान्त DBT के माध्यम से आधार लिंक्ड बैक खाता में सहायता राशि का भुगतान।
- गलत अथवा भ्रामक जानकारी देने पर आवेदन अस्वीकृत माने जाएंगे।

PR. 017542 (Co-Operetive)D. 2024-25

अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट - https://state.bihar.gov.in/cooperative देखें अथवा दूरभाष संख्या- 0612-2200693 पर संपर्क करें।